



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233702
CG-DL-E-24022022-233702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 801]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

का.आ. 830(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3196 (अ) तारीख 06/08/2021 जो राजपत्र सं० 2967 तारीख 09/08/2021, का० आ० 483 (अ) तारीख 2/2/2021, का० आ० 484(अ) तारीख 2/2/2021, जो भारत के राजपत्र सं० 442 तारीख 02/02/2021 और का० आ० 2889 (अ) तारीख 20/8/2020, जो भारत के राजपत्र सं० 2561 तारीख 27/08/2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में केरल राज्य में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी से सेलम तक द्रवित पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए कोच्चि कोयम्बटूर सेलम पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को क्रमशः तारीख 18/8/2021 से 7/10/2021, 29/7/2021 से 30/9/2021 एवं 5/10/2020 से 30/11/2020 के बीच उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त

भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केंद्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, कोच्चि सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य: केरल

जिला: ऐरनाकुलम

तालुक: कणयन्नूर

नम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर

कक्कानाड (खंड सं 7)

372/7	0	01	75
372/8	0	04	75
372/9	0	01	15
372/10	0	01	15

त्रिक्काकरा उत्तर खंड सं. 6

82/5	0	01	25
82/12	0	02	50
82/13	0	01	00
82/14	0	02	30
205/1	0	02	00
272/4	0	04	50
353/12	0	00	80
363/1	0	02	80
363/2	0	01	75
363/6	0	02	50
364/9	0	02	25
364/10	0	00	30
365/1	0	02	00
366/7	0	07	50
370/4	0	02	00
370/9	0	01	00
409/2	0	02	50
409/3	0	01	25
410/2	0	10	00
415/1	0	00	36
415/2	0	05	00
417/2	0	04	00
417/7	0	03	50
439/9	0	12	00

राज्य: केरल

जिला: ऐरनाकुलम

तालुक: कुन्नाथुनाडु

नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर

किज्जाहक्कमबलम खंड सं: 25

136/5	0	01	45
136/6	0	00	75
136/7	0	01	75

राज्य: केरल

जिला: ऐरनाकुलम

तालुक : आलुवा

नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित)		
		हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर

वडक्कुम्बागम खंड सं 28

158/12	0	03	50
158/19	0	03	75

चूर्णिकारा खंड सं 34

13/5	0	05	50
13/6	0	05	00

अंगमली खंड सं 12

110/6	0	01	00
110/7	0	00	50
110/10	0	03	00
117/1	0	01	00
117/2	0	01	50
118/2.1	0	02	50
118/6.3	0	01	50
109/7	0	02	50
109/6	0	02	00

राज्य: केरल	जिला : त्रिशूर	तालुक: त्रिशूर
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर मरथाक्कारा	क्षेत्रफल (अनुमानित) हेक्टेयर एरिया प्रति वर्गमीटर

मरथाक्कारा खंड सं 72 108 / 19 0 01 20

राज्य: केरल	जिला: त्रिशूर	तालुक: चलाकुडी
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (अनुमानित) हेक्टेयर एरिया प्रति वर्गमीटर

कल्लूर थेक्कुमुरी खंड सं 50 539 / 2 0 00 50

राज्य: केरल	जिला: त्रिशूर	तालुक: मुकुंदपुरम
नाम ग्राम	सर्वे नम्बर परप्पुक्करा	क्षेत्रफल (अनुमानित) हेक्टेयर एरिया प्रति वर्गमीटर

परप्पुक्करा 52 / 1 0 03 15

तोराव 232 / 1 0 04 00

[फा. सं. आर-12031 / 196 / 2017-ओआर-1/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

S.O. 830(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O No: 3196(E) dated 06.08.2021 published in Government of India Gazette No: 2967 dated 09.08.21, S.O. 483(E) dated 02.02.2021, S.O. No. 484(E) dated 02.02.2021 published in Govt. of India Gazette No: 442 dated 02.02.2021 and S.O. No: 2889(E) dated 20.08.2020 published in Government of India Gazette No: 2561 dated 27.08.2020 were issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) (herein after referred to as said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Kochi Refinery of Bharat Petroleum Corporation Limited in the State of Kerala to Salem in the State of Tamil Nadu.

AND, whereas, the copies of the said Gazette Notifications have been made available to the public between 18.08.2021 to 07.10.2021, 29.07.2021 to 30.09.2021 and 05.10.2020 to 30.11.2020 respectively.

AND, whereas, the Competent Authority in pursuance of sub section (1) of section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government.

AND, whereas, the Central Government, after considering the said report, is satisfied that the Right of User in the said land specified in the schedule appended should be acquired.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declared that the Right of User in the Land specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired.

AND, further, in exercise of powers conferred by sub section (4) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said lands shall, instead of vesting in the Central Government vest free from all encumbrances in the Kochi – Salem Pipeline Private Limited.

SCHEDULE

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : KANAYANNUR

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

KAKKANAD**BLOCK NO. 7**

372/7	0	01	75
372/8	0	04	75
372/9	0	01	15
372/10	0	01	15

THRIKKAKKARA NORTH**BLOCKNO. 6**

82/5	0	01	25
82/12	0	02	50
82/13	0	01	00
82/14	0	02	30
205/1	0	02	00
272/4	0	04	50
353/12	0	00	80
363/1	0	02	80
363/2	0	01	75
363/6	0	02	50
364/9	0	02	25
364/10	0	00	30
365/1	0	02	00
366/7	0	07	50
370/4	0	02	00
370/9	0	01	00
409/2	0	02	50
409/3	0	01	25
410/2	0	10	00
415/1	0	00	36
415/2	0	05	00
417/2	0	04	00
417/7	0	03	50
439/9	0	12	00

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : KUNNATHUNADU

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

KIZHAKKAMBALAM**BLOCK NO: 25**

136/5	0	01	45
136/6	0	00	75
136/7	0	01	75

STATE : KERALA

DISTRICT : ERNAKULAM

TALUK : ALUVA

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

VADAKKUMBHAGAM**BLOCK NO: 28**

158/12	0	03	50
158/19	0	03	75

CHOORNIKKARA**BLOCK NO: 34**

13/5	0	05	50
13/6	0	05	00

ANGAMALY**BLOCK. NO: 12**

110/6	0	01	00
110/7	0	00	50
110/10	0	03	00
117/1	0	01	00
117/2	0	01	50
118/2-1	0	02	50
118/6-3	0	01	50
109/7	0	02	50
109/6	0	02	00

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR

TALUK : THRISSUR

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

MARATHAKKARA**BLOCK: 72**

108/19	0	01	20
--------	---	----	----

STATE : KERALA

DISTRICT : THRISSUR

TALUK : CHALAKUDY

VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA		
		HECTARES	ARES	SQ:METERS

KALLUR THEKKUMURI**BLOCK NO: 50**

539/2	0	00	50
-------	---	----	----

STATE : KERALA		DISTRICT : THRISSUR		TALUK : MUKUNDAPURAM	
VILLAGE	SURVEY NUMBERS	AREA			
		HECTARES	ARES	SQ:METERS	

PARAPPUKKARA

52/1	0	03	15
------	---	----	----

THORAVA

232/1	0	04	00
-------	---	----	----

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.